


**कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)**

**::-- विज्ञप्ति --::**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में स्थित केन्टीन (जलपान गृह) जिसकी लंबाई-चौड़ाई कुल 1665 वर्ग फीट है, की नीलामी दो वर्ष, दिनांक 01.02.2018 से दिनांक 01.02.2021 तक के लिए, **दिनांक 25.01.2018 को दोपहर 2.30 बजे से न्यायालय परिसर अशोकनगर में** की जावेगी अथवा समुचित बोली प्राप्त होने तक नीलामी जारी रहेगी। नीलामी की न्यूनतम बोली रू. 2,00,000/- (रू. दो लाख ) होगी।

इच्छुक व्यक्ति उक्त नीलामी में बोली लगा सकता है। बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को ही होगा।

नीलामी के संबंध में आवश्यक शर्तें न्यायालय के नोटिस बोर्ड/नगर का मुख्य चौराहा गांधी पार्क/इन्दिरा पार्क /कुटुम्ब न्यायालय/ उपभोक्ता फोरम/कलेक्ट्रेट कार्यालय/तहसील कार्यालय/जिला अस्पताल परिसर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है तथा न्यायालय की वेबसाईट **www.mphc.gov.in** पर भी उपब्ध हैं।



(आनन्द प्रिय राहुल)  
अध्यक्ष, कय समिति एवं  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
अशोकनगर, म.प्र.

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)

:: ...केन्टीन के ठेके संबंध में शर्तें... ::

1. जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में स्थित केन्टीन (जलपान गृह) का ठेका दिनांक 01.02.2018 से 01.02.2021 तक दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
2. ठेके में नीलाम बोली लगाने वाले व्यक्ति को 30,000/- रुपये (रू.तीस हजार) अग्रिम राशि बोली लगाते समय अमानत के रूप में जमा कराना होगी।
3. बोली स्वीकृत होने पर नीलामी बोली की आधी राशि कार्यालय में अमानत की राशि को समायोजित कर तत्काल जमा कराना होगी एवं रसीद प्राप्त करना होगी। शेष आधी राशि 06 माह में जमा कराना होगी। राशि जमा न होने की दशा में ठेके की अमानत राशि राजसात हो जावेगी।
4. केन्टीन (जलपान गृह) का समय प्रातः 7.00 बजे से संध्या 7.00 बजे तक रहेगा।
5. केन्टीन ठेकेदार विद्युत, जल एवं साफ-सफाई का व्यय, स्वयं के व्यय पर भुगतान करेगा। यदि ठेकेदार न्यायालय परिसर में स्थित नलकूप से जलआपूर्ति चाहता है तो इस हेतु उसे अपने व्यय पर विद्युत सब मीटर लगाना होगा व प्रतिमाह जलकर के रूप में 500/- रुपये की राशि उक्त संस्था को अदा करना होगी।
6. जल आपूर्ति प्रति दिवस एक घंटे हेतु की जावेगी, यदि जल आपूर्ति कम होती है तो, 700/- रुपये प्रतिमाह की दर से दो घंटे की अवधि हेतु जल आपूर्ति लेने का उसे अधिकार रहेगा, जो कि, एक इंच की पाइप लाइन या लेजम द्वारा की जावेगी, जिसकी फिटिंग का कार्य कराया जाता है तो, वह ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
6. ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर आकर्षक रूप से कैंटीन तैयार की जावे, जिसमें हवा, प्रकाश के साथ ही आंगुंतको को बैठने के लिए उपयुक्त फर्नीचर ठेकेदार रखा जावेगा तथा केन्टीन में जगह-जगह डस्टबिन रखवाए जाकर स्वच्छता का विशेष ध्यान भी ठेकेदार को रखना होगा।
7. कैंटीन के संचालन हेतु खाद्य पदार्थों के मानव उपयोगी अर्थात् हाइजेनिक होने के संबंध में ठेकेदार आवश्यक ध्यान रखेगा।

8. ठेका अवधि में कैंटीन में कोई विधि विरुद्ध कार्य—कलाप धूम्रपान या पब्लिक न्यूसेंस इत्यादि करने की अनुमति नहीं देगा व कार्यरत कर्मचारीगण साफ स्वच्छ बेष—भूषा में रहेंगे व बालश्रम कठोरता से प्रतिबंधित रहेगा।
9. कैंटीन में विक्रय की जाने वाली वस्तु की कीमत बाजार भाव से अधिक नहीं होगी।
10. बर्तन आदि की साफ—सफाई इस प्रकार कराना होगी कि, उनसे किसी प्रकार की गंदगी आसपास न फैले।
10. कैंटीन (जलपान गृह) का निरीक्षण समय—समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेंगे।
11. निरीक्षण किए जाने पर यदि उक्त शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो, प्रत्येक निरीक्षण पर 500/- रुपये (रू.पांच सौ) अर्थदंड से दण्डित किया जावेगा। यह राशि शासन के पक्ष में राजसात कर जमा की जावेगी।
12. यदि ठेकेदार ठेके को समाप्त करना चाहता है तो, वह एक माह पूर्व ऐसी लिखित सूचना संस्था को देकर और संस्था द्वारा उसे अनुमोदित कर दिए जाने पर अपना ठेका समाप्त कर सकेगा और उसके द्वारा अग्रिम के रूप में जमा कराई गई राशि संस्था द्वारा उसे विधिवत लौटा दी जावेगी।
13. ठेकेदार द्वारा कैंटीन (जलपान गृह) में फर्नीचर को छोड़कर कोई भी स्थाई निर्माण कार्य संस्था की पूर्व स्वीकृति एवं अनुमोदन के बिना नहीं कराया जावेगा। आवश्यक होने पर संस्था की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संस्था को लिखित में अवगत करायेगा।
14. कैंटीन (जलपान गृह) में अग्नि से बचाव हेतु उचित साधन (पानी अथवा अग्नि समन यंत्र) आदि की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं के व्यय पर करेगा।
15. किसी भी विवाद की दशा में अंतिम निर्णय संस्था का होगा।

18/01/2018

(आनन्द प्रिय राहुल)  
अध्यक्ष, कय समिति एवं  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
अशोकनगर, म.प्र.